XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.1618—तीन / 14 जिला—दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—7—15	आवेदक की ओर से श्री के.के.द्विवेदी, अभि. उप. । उन्होंने निवेदन किया कि वे इस प्रकरण को अब आगे चलाना नहीं चाहते । अतः आवेदक अभि. के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण क. :

ता.पेशी :–

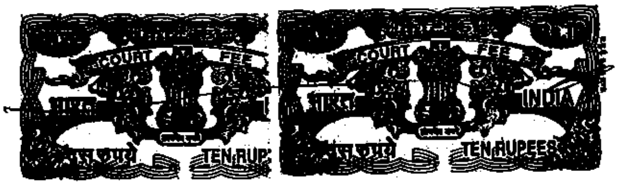

R-1618-III-14

नारायण अहिरवाल आत्मज श्री धोखेलाल अहरवाल उम्र 65 वर्ष
सा. 121 पुरानी जगदम्बा कालोनी वार्ड अग्रसेन (वासु डेरी के पास) जबलपुर

.... रिवीजनकर्ता / आपत्तिकर्ता

बनाम

श्रीमति डाली लाल पत्नि श्री स्टेनली ललित लाल
सा. बेतलहम परिसर चौपरा रैयतवारी तह. व जिला दमोह म.प्र.

.... उत्तरवादी

आवेदन अंतर्गत :– धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय श्रीमान् तहसील महोदय दमोह 2 द्वारा सीमांकन प्रकरण 15 अ / 12–2013–14 पक्षकार श्रीमति डाली लाल बनाम शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 4.03.14 से क्षुब्ध व पीड़ित होकर

रिवीजनकर्ता / आपत्तिकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना करता है।

1. यह कि उत्तरवादी / आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम चौपरा रैयतवारी प.ह.न. 19 में स्थित भूमि ख.न.23 / 1 / ग / 10, 23 / 1घ रकवा क्रमशः 0.008 व 0.017 हेक्ट. का सीमांकन किया जावें। मान.अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण पंजीबध्द राजस्व निरीक्षक दमोह 2 एवं हल्का पटवारी को सीमांकन करने हेतु आदेशित किया ।

2. यह कि उक्त आदेश के परिपालन में दिनांक 10.02.14 को राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर बिना कानूनी प्रकिया अपनायें, आवेदिका एवं उसके सहयोगियों से मिली भगत करके मनमर्जी मुताबिक रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान् तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दी , जबकि इस रिवीजनकर्ता / आपत्तिकर्ता के द्वारा भी एक सीमांकन आवेदन पत्र दिनांक 07.11.01 में पेश किया गया था, जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया गया था। उसके बाद एक आवेदन पत्र 4.1.14 को पेश किया गया था। जिस पर भी आदेश होने के बाबजूद भी ना तो राजस्व निरीक्षक महोदय ने और ना ही हल्का पटवारी मौके पर सीमांकन करने आज तक गये। चूकिं आवेदिका / उत्तरवादी प्रभावशाली पैसे वाले व्यक्ति है, और उनकी भूमि अन्य जगह पर स्थित है, लेकिन वह रिवीजनकर्ता / आपत्तिकर्ता की भूमि को हड़प करना चाहती है। क्योकिं रिवीजनकर्ता की भूमि दमोह– जबलपुर मुख्यमार्ग से लगी कीमती भूमि है, इस बात की जानकारी आवेदिका को शुरू से है, उसके बाबजूद ना तो रिवीजनकर्ता को